

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रार/पविप/5वीं-8वीं/दिशानिर्देश/2024-25

दिनांक :- यथा ई हस्ताक्षर

परीक्षा अतिआवश्यक

1. समस्त प्राचार्य,
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
राजस्थान ।

2. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
राजस्थान ।

विषय :- प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र (कक्षा-8) परीक्षा, 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) परीक्षा, 2026 के आवेदन से पूर्व प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

प्रसंग : निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का पत्रांक : शिविरा-मा./माध्य.
/निप्र/22418/शिविरा पंचांग/2026-27-45292 पार्ट फाईल - 1 दिनांक : यथा
ई-हस्ताक्षर (राज काज.रेफ.नं.-18962189) दिनांक : 21.11.2025 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र (कक्षा-8), परीक्षा 2026 एवं प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन (कक्षा 5) परीक्षा, 2026 के आवेदन पत्र विगत सत्रों की भांति शाला दर्पण परीक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तर पर ऑन लाइन भरवाये जाने हैं। अतः आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व विद्यालय/ब्लॉक एवं डाईट कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य अतिशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे कि ऑनलाइन आवेदन के समय आवेदन पत्र में विद्यार्थी विवरण बाबत अवांछित त्रुटि एवं संशोधन संबंधी अनावश्यक प्रक्रियाओं से बचते हुए परीक्षा पूर्व आवश्यक तैयारी व परीक्षा क्रियान्वयन अवधि में आवेदन पत्र से परिणाम जारी करने तक समस्त महत्वपूर्ण चरण एवं प्रक्रियाओं को निर्बाध व शुद्ध रीति से सम्पादित किया जा सके -

1. विद्यार्थियों के नाम, उनके माता पिता के नाम, उनकी जन्म दिनांक आदि में यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो विभागीय पोर्टल पर संबंधित प्रारूप/प्रपत्र जो भी प्रयोज्य (यथा शालादर्पण के लिए प्रपत्र सं. : 5 एवं 9 में) हो नियमानुसार वांछित संशोधन प्रक्रिया विद्यालय अथवा संबंधित कार्यालय स्तर पर अविलम्ब पूर्ण करें।
2. विद्यालय प्रोफाइल में आवश्यकतानुसार संशोधन करवाना। वर्तमान परीक्षा 41 जिला व्यवस्था अनुसार आयोजित की जानी है, अतः नवीन गठित 8 जिलों व इनके पूर्ववर्ती मूल जिलों में संबंधित राजकीय एवं निजी समस्त विद्यालयों की ब्लॉक, जिला, पी.ई.ई.ओ./यू.सी.ई.ई.ओ. क्षेत्र इत्यादि की वर्तमान विशुद्ध भौतिक अवस्थिति व प्रशासनिक क्षेत्राधिकार स्थिति संबंधित डेटा इत्यादि जानकारीयां विभागीय पोर्टल पर विशुद्ध रूप से सही मैपिंग के साथ तदनुसार ऑनलाईन विद्यालय प्रोफाइल अपडेशन कार्य भी संबंधित समस्त स्तरों पर अविलम्ब निष्पादित किया जावे।
3. विद्यालय के वर्गीकरण एवं पूर्व निर्धारित व प्रयोज्य समस्त श्रेणियों (applicable all catagories) यथा प्रावि.,उप्रावि.,मा.वि./उमावि.,छात्र/छात्रा, आवासीय/गैर आवासीय इत्यादि सहित मान्यता सम्बन्धित वास्तविक व पोर्टल पर ऑनलाईन अपडेशन कार्य भी समस्त ऑनलाईन प्रपत्रों में निर्दिष्ट विकल्पानुसार तत्काल पूर्ण करावें।

Signature valid

Digitally signed by Sita Ram, Jt
Designation : Director
Date: 2025.12.09 09:53:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19267624



4. **कक्षा 8 हेतु किसी विद्यार्थी (परीक्षार्थी) के तृतीय भाषा संबंधित विषय मैपिंग में यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो तदनुसार पोर्टल पर तत्काल संशोधन करावें।**
5. ऐसे राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालय, मदरसा, उर्दू माध्यम के विद्यालय, राजकीय व निजी संस्कृत विद्यालय एवं अन्य किसी श्रेणी के विद्यालय जो विभाग से मान्यता प्राप्त हैं परन्तु यदि वे पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में उक्त परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व ही अपंजीकृत विद्यालय को उसकी प्रयोज्य श्रेणी अनुसार सम्बन्धित पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण की कार्यवाही भली-भाँति निष्पादित कर ली जावे।
6. आरटीई के अन्तर्गत प्रवेशित एवं अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षा में यदि ऑनलाईन अपडेशन नहीं हो पाया हो तो विद्यालयों द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के प्रकरण संबंधित कार्यालय स्तर से निस्तारण करवाकर ऑनलाईन कक्षा अपडेशन संबंधित कार्यवाही भी आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व ही सम्पादित कर ली जावे।
7. सीबीएसई बोर्ड से संबद्धता वाले विद्यालय इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, अतः संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने पोर्टल लॉगिन से संबंधित सम्मिलित न होने वाले विद्यालय के एक्सेस/लॉगिन पर कक्षा 8 एवं 5 संबंधित आवेदन टेब का विकल्प प्रदर्शित नहीं करें। इस बाबत समस्त संबंधित सीबीईओ./डाइट्स उक्तानुसार सीबीएसई समबद्धता वाले विद्यालय के लिए एक्सेस लिमिटेशन/लॉकिंग इत्यादि की कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण कर लें।
8. परीक्षार्थी हित में यदि अन्य कोई ऑनलाईन संशोधन या करणीय कार्यवाही जिस किसी भी स्तर पर प्रस्तावित हो तो तदनुसार संबंधित अधिकारी/कार्यालय इसे तत्काल पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त वर्णित कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा भिजवाये गये संशोधन प्रस्तावों को समय पर निस्तारित करवाने में सहयोग प्रदान करावें।

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : यथा-ई-हस्ताक्षर

क्रमांक:-शिविरा/प्राशि/पंविप/5.8/प्राशिअमू/विविध/2024-25

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. शासन उपसचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.) एन.आई.सी. शिक्षा संकुल राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर।
8. सचिव मदरसा बोर्ड, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त।
10. उपनिदेशक शाला दर्पण प्रकोष्ठ, शिक्षा संकुल, राजस्थान, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Sitaraj Ram Jat
Designation: Director
Date: 2025.12.09 09:53:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19267624

11. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त को प्रभावी प्रबोधन हेतु
12. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), मा.शि./प्रा.शि, समस्त को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
14. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, शाला दर्पण अनुभाग, निदेशालय मा.शि./प्रा.शि.राजस्थान, बीकानेर उक्तानुसार पोर्टल पर प्रस्तावित कार्यो/संशोधनों बाबत निर्धारित समय सीमा के दृष्टिगत प्रभावी प्रबोधन तथा संबंधित अधिकारी/कार्यालयों को डेडिकेटेड हैल्प लाईन के माध्यम से उचित मार्गदर्शन प्रदान करना सुनिश्चित करें।
15. अनुभाग अधिकारी/प्रभारी, पी.एस.पी. पोर्टल, निदेशालय मा.शि./प्रा.शि.राजस्थान, बीकानेर उक्तानुसार पोर्टल पर प्रस्तावित कार्यो/संशोधनों बाबत निर्धारित समय सीमा के दृष्टिगत प्रभावी प्रबोधन तथा संबंधित अधिकारी/कार्यालयों को डेडिकेटेड हैल्प लाईन के माध्यम से उचित मार्गदर्शन प्रदान करना सुनिश्चित करें।
16. अनुभाग अधिकारी शाला शैक्षिक, माध्यमिक, गुणवत्ता एवं नवाचार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर।
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग एवं
पंचायती राज (प्रा.शि.) विभाग
राजस्थान, बीकानेर